न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–2, गाजियाबाद।

उपस्थित– पूनम सिंघल (एच.जे.एस.)
JO ID UP 2684
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1217/2026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या– 2959/2026
CNR No.– UPGZ010065292026

1. अलीहसन अंसारी पुत्र बुद्धु अंसारी
2. मुमताज जहां पत्नी अखतर अली

निवासी– ई–196, शहीदनगर, थाना साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद।

–––––प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ––––––––विपक्षी

धारा– 64, 115(2), 351(2),
3(5) भारतीय न्याय संहिता व
5(2)अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम ।
थाना– अंकुर विहार, गाजियाबाद।
मुकदमा अपराध संख्या– 42/2026

दिनांक 19.06.2026

1– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 1. अलीहसन अंसारी, 2. मुमताज जहां की ओर से यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या– 42/2026, धारा– 64, 115(2), 351(2),3(5) भारतीय न्याय संहिता व 5(2)अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, थाना– अंकुर विहार, जिला गाजियाबाद के मामले में प्रस्तुत किया गया ।

2– जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का स्वयं का शपथ पत्र संलग्न है जिसमें यह वर्णित है कि यह प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नही है।

3– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रकरण की प्रकृति के दृष्टिगत जमानत आदेश में वादिनी मुकदमा/पीडिता के नाम का उल्लेख न करते हुए, उसके नाम के स्थान पर xxx अंकित किया गया है।)

4– संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा xxx ने दिनांक 09.02.2026 को थाना– अंकुर विहार पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि मेरी शादी दिनांक 06.11.2023 में अथर अली के साथ हुई, ये मेरी दूसरी शादी है। मेरे खाला के दामाद आरिफ अंसारी ने ये रिश्ता बताया था पूरी गारंटी ली की, मैं जिम्मेदार हूं, सब अच्छा रहेगा। शादी से पहले ही ससुराल वालों को बता दिया था कि यह मेरी दूसरी शादी है ससुरलवालों ने अपनी फैक्ट्री दिखाई और बताया कि 32 बीघा जमीन है, कहा कि लड़के के नाम कोठी है। मुझे शादी के बाद पता चला शालीमार वाला घर बिका हुआ है जब मैं शादि होकर ससुराल गई तो मुझे लोनी किराये के घर मेंशिफ्ट कर दिया गया बल्कि मुझे बताया गया था कि शालीमार में रहेंगे। शादी फिक्स होने के दो हफ्ते बाद क्रेटा कार की मांग करी मेरी सास, लडके के नाना ने। पापा ने मना किया तो उन्होंने कहा हमारा बेटा कुंवारा आपकी बेटी की दूसरी शादी है हम भी एडजेस्ट कर रहे हैं। भाई ने यू०पी में जमीन बेचकर गाड़ी की डिमांड पूरी करी, बैंक ट्रांसफर किया भाई ने। शादी के बाद पति रोज शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे उल्टी सीधी वीडियो देखते थे फोन में। शादी के एक हफ्ते बाद 12.11.2023 मेरे पति के नाना आए मिलने मुझे कहा शाहीन को काम पे लगाओ इसके अच्छे दाम मिलेंगे मैंने पूछा क्या काम है तो पति ने मुझे मारना शुरू कर दिया तुझे ये सब करना है हमने इसलिये छुटी हुई लड़की करी थी। उसी दिन शाम को पति, सास मार्केट गये थे, नाना मुझे बैड टच करने लगे कमर पे हाथ लगाके मैंने कहा क्या कर रहे हो उम्र का लिहाज करो वो कहने लगे छोड़ा

Digitally signed by POONAM SINGHAL
Date: 2026.06.19 16:34:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आदमी कभी बूठा नहीं होता। मैंने पति को बताया और सास को तो उन्होंने कहा क्या हो गया काम सीखा रहे है ये सब करना है पति फिर मारने लगा। 12.11.2023 रात को नाना ने मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक शोषण किया 8:30 PM मेरे पति ने इंजेक्शन लगाया शरीर नहीं हिला पा रही थी, पर सब देख पा रही थी पति सास चले गये। तीन–चार घण्टे बाद नार्मल हुई दूसरे दिन मैंने कहा की तुम लोगों ने धोखा दिया है बहुत रोई पुलिस में शिकायत करूंगी तो पति, ससुर ने बोला की ऐसी जगह गायब करेंगे की तुझे और तेरे घरवालों को पता नहीं चलेगा या मार के यही गाड देंगे मुझे मारा भी।मेरे जेठ पति के पास पिस्टल रहती है सब कहने लगे घर चलाना है तो वेश्यावृत्ति करना होगा। दिनांक 14.11.2023 को पति सास करहने लगे ये काम करना है मैंने मना किया तो पति ससुर मारने लगे फिर ससुर ने जबरदस्ती संबंध बनाये सजा के तौर पर फिर कुछ दिन बाद मैं प्रेग्नेंट हो गयी बच्चा पति का था। मां बेटे भी पति–पत्नी की तरह बात करते हैं। जब पता चला की मैं गर्भवती हूं तो पति माफी मांगने लगे तो मैने माफ कर दिया। दिनांक 18.08.2024 को मेरा बेटा हुआ मैंने पति सास को बात करते हुए सुना की अब काम करेगी बच्चा पालने के लिये। मेरी बहन आई तो मैंने बताया कि अपने घर से चलो फिर मैं बहन के घर चली गयी मैंने उनको पूरी बात बतायी। मेरे पति और जेठ पीछा करते थे जब भी वुमैन सैल जाती थी, बेटे को गायब करने की धमकी देते थे। मेरे जेठ ने भी मेरा रेप किया दिनांक 14.11.2023 के बाद मैं बेहोशी की हालत में रहती थी। उपरोक्त आधारों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी।

5– बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा उन्हें झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त अली हसन एक 90 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है जो चलने फिरने में भी असमर्थ है तथा प्रार्थिनी/अभियुक्ता मुमताज भी 52 वर्षीय वृद्ध महिला है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण व अख्तर अली व अजहर अली के विरूद्ध वादिनी ने एक झूठा मुकदमा थाना जाफराबाद में पंजीकृत कराया जिसमें अथर को छोड़कर बाकी सभी अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत न्यायालय कडकडडुमा कोर्ट से स्वीकार हो चुकी है तथा दिनांक 19.02.2026 को वादिनी ने फर्जी मुकदमा थाना अंकुर विहार में भी दर्ज कराया, जबकि एक ही घटना की बाबत एक ही संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी जाती है एक घटना के संबंध में अलग–अलग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना गैर कानूनी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को मात्र रंजिशवश एक प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की छवि को धूमिल करने की नियत से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त मुकदमा झूठा लिखाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण माननीय न्यायालय द्वारा जैसा व जब अपेक्षा की जायेगी, पूछताछ किये जाने हेतु स्वयं उपस्थित होंगे तथा विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत के निर्देशों का पूर्णतः पालन करेंगे। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से भागने व गवाहान तोड़ने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण माननीय न्यायालय की संतुष्टि हेतु अपनी उचित जमानत देने को तैयार हैं। अतः उपरोक्त कथनों के आधार पर प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी।

6– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है तथा कथन किया गया कि अपराध अत्यंत गंभीर व जघन्य प्रकृति का है।

7– अभियोजन प्रपत्रों, प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस डायरी के अवलोकन से विदित है कि पीडिता के द्वारा थाना जाफराबाद, दिल्ली में दिनांक 31.08.2025 को एक लिखित शिकायत दी गयी जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या–394/2025, धारा–85,316(2),351(2) व 115(2) भारतीय न्याय संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी और उस मुकदमे के संदर्भ में उसके धारा–180 व 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत बयान अंकित किये गये,चूंकि पीडिता द्वारा दी गयी तहरीर में उसके साथ जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में उसका शारीरिक शोषण व बलात्कार किये जाने तथा वेश्यावृत्ति करने के लिये मजबूर किये जाने के भी आरोप थे, जिसके संदर्भ में दिल्ली पुलिस के द्वारा विधिक राय लेने के पश्चात् बलात्कार व वेश्यावृत्ति के अपराध जिला गाजियाबाद के क्षेत्र में घटित होने के दृष्टिगत इस अपराध के संदर्भ में अग्रतर कार्यवाही करने हेतु गाजियाबाद पुलिस को तहरीर, पीडिता के बयान इत्यादि के प्रपत्र प्रेषित किये गये. जिस पर गाजियाबाद पुलिस द्वारा जांच किये जाने उपरांत उच्च अधिकारियों के आदेश के उपरांत दिनांक 09.02.2026 को पीडिता की नवीन लिखित तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पीडिता के द्वारा एक ही घटना के संदर्भ में दो अलग–अलग मुकदमे एक थाना जाफराबाद,दिल्ली में तथा अन्य गाजियाबाद में पंजीकृत कराया

गया है, इस संदर्भ में जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा स्पष्ट किया गया है कि चूंकि बलात्कार की घटना जिला गाजियाबाद के क्षेत्र में घटित हुई थी तथा यह अपराध निरंतर अपराध(Continuing offence) की श्रेणी में नहीं आता है, अतः दिल्ली पुलिस द्वारा पीडिता द्वारा दिल्ली में दी गयी तहरीर व बयानों को गाजियाबाद पुलिस को अग्रतर कार्यवाही के लिये प्रेषित किया गया था तथा तहरीर में अंकित दहेज उत्पीड़न व दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध संदर्भ में दिल्ली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की गयी है। अतः पीडिता द्वारा दो जगहों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गयी है अपितु क्षेत्राधिकार के दृष्टिगत पुलिस द्वारा की गयी है।

इस संदर्भ में दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट (दिल्ली व गाजियाबाद में दर्ज की गयी) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पीडिता द्वारा घटना के संदर्भ में लगभग एक समान कथन किये गये हैं।

8– प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार पीडिता xxx की शादी दिनांक 06.11.2023 को अख्तर अली के साथ हुई थी, जो कि उसकी दूसरी शादी है और इस शादी से उसको दिनांक 18.08.2024 को एक बेटा हुआ और दिनांक 20.08.2024 को जब उसकी बहन उससे मिलने आयी, तो वह अपनी बहन के घर चली गयी, जहां उसने पूरी बात बतायी और दिनांक 31.08.2025 को थाना जाफराबाद दिल्ली पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार शादी तय होने के समय ससुराल वालों ने अपनी फैक्ट्री और 32 बीघा जमीन व लड़के के नाम कोठी होना बताया था लेकिन शादी के बाद उसे पता चला कि शालीमार वाला घर बिका हुआ है और उसे किराये के घर में रखा गया और शादी तय होने के दो हफ्ते बाद क्रेटा कार की मांग सास और लड़के के नाना के द्वारा की गयी, किसी प्रकार भाई के द्वारा जमीन बेचकर मांग पूरी की गयी। शादी के बाद पता चला कि पति रोजाना शराब पीता है और उल्टी–सीधी वीडियो फोन पर देखता है और न ही काम पर जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त अली हसन के संदर्भ में प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह तथ्य किया गया है कि 'शादी के एक हफ्ते बाद दिनांक 22.11.203 को पति के नाना मिलने आये और कहा कि पीडिता xxx को काम पर लगाओ, इसके अच्छे दाम मिलेंगे, मेरे पूछे जाने पर पति द्वारा पीटा गया और उसी दिन पति व सास बाजार चले गये और नाना उसे बुरी नियत से उसे कमर पर छूने लगे, जब उसने अपने पति व सास को यह बताया तो उनके द्वारा कहा गया कि काम सीखा रहे है,यह सब करना है और पति द्वारा उसे मारा गया और दिनांक 12.11.2023 की रात को भी नाना ससुर(प्रार्थी/अभियुक्त) द्वारा शारीरिक शोषण किया गया।' यही कथन पीडिता xxx के द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 161 व 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में भी किया गया है। दिनांक 14.11.2023 को पति व सास कहने लगे कि वेश्यावृत्ति करनी होगी, पीडिता द्वारा मना किया गया तो पति व ससुर के द्वारा मारा गया एवं ससुर अख्तर अली के द्वारा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये गये। प्रथम सूचना रिपोर्ट सूचनाकर्ता/वादिनी मुकदमा/पीडिता xxx और प्रार्थी/अभियुक्त अली हसन के नाती के मध्य वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हो दर्ज करवाना प्रतीत होता है। प्रार्थी/अभियुक्त अली हसन के संदर्भ में प्रथम सूचना रिपोर्ट में शादी से पूर्व क्रेटा गाड़ी की डिमांड व शादी के पश्चात् वेश्यावृत्ति करवाये जाने के लिये उत्प्रेरित करना व शारीरिक शोषण किये जाने का कथन किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त अली हसन द्वारा शारीरिक शोषण की कथित घटना दिनांक 12.11.2023 को कारित किया जाना बताया गया है। पीडिता द्वारा कथित बलात्कार की घटना के एक साल पश्चात् बहन के घर जाने और बहन के घर जाने के भी कई दिन पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है,जो लगभग 2 वर्ष पश्चात् दर्ज कराया जाना परिलक्षित होता है। इसी प्रकार प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विरूद्ध शादी से पूर्व क्रेटा कार मांगने तथा शादी के पश्चात् मारपीट करने तथा वेश्यवृत्ति के लिये उत्प्रेरित करने का आरोप है।

9– प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा दहेज उत्पीडन के लिये मारपीट व अधिक दहेज की मांग के अपराध के संदर्भ में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय, कडकडडूमा कोर्ट, दिल्ली द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। पुलिस आख्या व केस डायरी के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में पीडिता xxx के बयान अंतर्गत धारा–180 व 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दर्ज कराये जा चुके हैं। अभियोजन द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का अन्य कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा न ही ऐसा कोई तथ्य आख्या में बताया गया है कि जिनके संदर्भ में हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता पुलिस द्वारा जताई गयी हो अथवा कोई बरामदगी की जानी हो। पीडिता के साथ दो वर्षों में मारपीट या शारीरिक उत्पीडन व इंजेक्शन लगाये जाने के संदर्भ में कोई मैडिकल प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा शादी के लगभग 2 वर्ष बाद दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में अंकित वैवाहिक मतभेद के तथ्यों व परिस्थितियों के आलोक में इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रार्थी/अभियुक्त अली हसन एक 86 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है तथा प्रार्थिनी/अभियुक्ता एक महिला है तथा उसके विरूद्ध लगाये मारपीट व वेश्यावृत्ति के लिये उत्प्रेरित करने के कथित, जो कि 7 वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय है एवं प्रकरण के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी न करते हुए, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का अग्रिम

जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 1. अलीहसन अंसारी, 2. मुमताज जहां की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थन पत्र निम्न शर्तों पर स्वीकार किया जाता है–

i– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण, विवेचक द्वारा इस प्रकरण में जब भी अपेक्षा की जायेगी तो वह पूछताछ के लिए विवेचक के समक्ष उपस्थित होंगे तथा विवेचना में सहयोग करेंगे ।

ii– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

iii– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

iv– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा नियत की गयी प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि विवेचना के उद्देश्य से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार करना जरूरी हो तो प्रत्येक अभियुक्त द्वारा 75,000/–(पचहत्तर हजरा रूपये) के व्यक्तिगत बंधपत्र व उतनी ही धनराशि के दो–दो जमानती देने पर थानाध्यक्ष/विवेचक/गिरफ्तार करने वाला अधिकारी (Arresting Officer) जमानत पर तत्काल छोड़ दिया जाये। यदि प्रकरण में विवेचना उपरांत विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है तो ऐसे निष्पादित बंधपत्रों को आरोप पत्र के साथ संबंधित न्यायालय को प्रेषित कर दिया जाये तथा मजिस्ट्रेट द्वारा मामले का प्रसंज्ञान लिये जाने की स्थिति में अग्रिम जमानत आदेश संबंधित मामले के विचारण तक प्रभावी रहेगा।

दिनांक 19.06.2026

(पूनम सिंघल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–2, गाजियाबाद।